(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2346-एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-6-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 377/अपील/10-11

भुवान आत्मज घीसाजी गारी
निवासी ग्राम देवराखेडी खुर्द तहसील
व जिला उज्जैन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-बोंदू आत्मज घीसाजी गारी
निवासी ग्राम देवराखेड़ी तहसील व जिला उज्जैन
2-देवाजी आत्मज घीसाजी गारी
निवासी ग्राम उंचा मताना तहसील व जिला उज्जैन
3-भेरूलाल आत्मज घीसाजी गारी
निवासी ग्राम देवराखेड़ी तहसील व जिला उज्जैन
4-सम्पतबाई पुत्री घीसाजी पति दयालजी
निवासी ग्राम दताना तह.व जिला उज्जैन
5-जानूबाई पुत्री घीसाजी गारी
निवासी ग्राम ईमानीखेड़ा तह0जिला इंदौर
6-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन

.....अनावेदकगण

श्री बी0के0सैनी, अभिभाषक, आवेदक

श्री आर0एन0मोदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1,2,4,5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने एक आवेदन संहिता की धारा 178 के अंतर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम देवराखेड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 115 रकबा 0.23 हेक्टेयर तथा सर्वे नम्बर 139 रकबा 0.33 हेक्टेयर कुल रकबा 0.56 हेक्टेयर पर उभयपक्ष की माता पदमाबाई विधवा घीसा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के बाद वारिसाना नामान्तरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 28-6-2010 को आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12-5-2011 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9-6-14 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम से दर्ज होकर आवेदक ही लम्बे समय से कृषि कार्य कर रहा है व दाविया संपत्ति पर अनावेदक का कभी भी कोई आधिपत्य नहीं रहा है ।

(2) यह कि उभयपक्ष की माता की जब मृत्यु हुई तब बटवारे के समय आवेदक नाबालिग था इस कारण सरपरस्त के रूप में पदमाबाई का नाम दर्ज रहा व मृत्यु उपरांत आवेदक का एकल नाम से नामान्तरण हो गया ।

(3) अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने पूर्व में प्राप्त हिस्से की भूमि विक्रय कर दी है तथा यह संपत्ति आवेदक के हक व हिस्से की संपत्ति होकर अनावेदक को कोई हक प्राप्त नहीं होते है।

(4) अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने उपरोक्त संपत्ति के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में न्यायालय के समक्ष विस्तृत विचार किया जाकर निर्णय पारित कर निरस्त किया जा चुका है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1,2,4,5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का न तो एकाकी मालिक है और न ही आधिपत्यधारी है, क्योंकि उभयपक्ष सगे भाई-बहन है ।

(2) प्रकरण में तथ्यात्मक व विधिक स्थिति को देखते हुये भुवान आदेश 21-1-2007 के ठहराव में उसके हस्ताक्षर की मौजूदगी में षडयंत्र पूर्वक अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ पर दिनांक 23-8-17 की अपील में क्योंकर नामान्तरण को चुनौती दे सकता था, इसका कोई विधिक आधार नहीं था ।

(3) बन्दोबस्त के दौरान आवेदकगण का नामान्तरण चकबंदी पटटा जो प्रदान किया गया था वह दिनांक 21-11-86 को सबका नामान्तरण किया गया जिसमें भुवान के अन्य भाईयों का व मॉ का नामान्तरण करते हुये भुवान को अज्ञान बताकर माता पदमाबाई व इसी नामान्तरण में व पदमाबाई विधवा घीसाजी लिखा गया है और लिखा है निवासी ग्राम समान भाग । उसके बाद सभी का आपसी सहमति से बटवारा हुआ ।

(4) आवेदक द्वारा अपने हिस्से को बेच देने के बाद माता पदमाबाई को घीसाजी द्वारा छोडे गये हिस्से में एकाकी रूप से सरपरस्ती बताकर संहिता की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय की धारा 8 की मौजूदगी में तथा पदमाबाई की मृत्यु तक अवसीयत उसके मृत्यु हो जाने की दशा में अधिनियम के अन्तर्गत माता की समस्त संताने समान रूप से हक रखती है । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी व तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अभिलेख में भूमि की

पूर्ववत प्रविष्टी कायम करने के आदेश दिये हैं । पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि पदमाबाई के नाम थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को या तो स्वयं नामान्तरण निर्णय लेना था या तहसीलदार को निर्देश देने थे । प्रकरण में व्यवहार न्यायालय का निर्णय भी आवेदक ने प्रस्तुत किया है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को सभी को सुनकर / व्यवहार न्यायालय के निर्णय को देखकर पुन: निर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-06-2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सभी पक्षों को सुनकर / व्यवहार न्यायालय के निर्णय को देखकर पुन: निर्णय लेने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर